लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1319

30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

एनटीसी पार्वती मिल्स का पुनरुद्धार

1319. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केरल के कोल्लम में एनटीसी पार्वती मिल्स के स्वामित्व वाली भूमि के उपयोग के संबंध में अध्ययन कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार एनटीसी मिल्स के पुनरुद्धार पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केंद्र सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों द्वारा पार्वती मिल्स की भूमि के प्रभावी उपयोग की संभावना के संबंध में परीक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कोल्लम में एनटीसी पार्वती मिल्स के स्वामित्व वाली भूमि के संबंध में न्यायालयी मामलों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का कोल्लम में एनटीसी पार्वती मिल्स में कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि कोल्लम शहर के बीचोबीच मूल्यवान भूमि खाली पड़ी हुई है और यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (च): राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) के अंतर्गत कोल्लम में स्थित पार्वती मिल्स को वर्ष 2008 (एमएस-08) में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार संयुक्त उद्यम (जेवी) मार्ग के माध्यम से पुनरुद्धार के लिए लिया गया था। एनटीसी ने निश्चित समझौते का निष्पादन न होने के कारण जेवी पार्टनर के साथ जेवी एग्रीमेंट हेतु समझौता ज्ञापन को रद्द कर दिया। इसके बाद, इस मामले को आर्बिट्रेशन के लिए भेज दिया गया। तथापि, जेवी पार्टनर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में आर्बिट्रल आदेश के विरुद्ध ओएमपी (कॉम) 2020 की संख्या 409: केएसएल और इंडस्ट्रीज बनाम एनटीसी लिमिटेड दायर किया। मामला विचाराधीन है।

मिल चालू न होने की स्थिति में भी मिल के सभी कर्मचारियों को मार्च, 2023 तक का पूरा वेतन दे दिया गया है। इसके बाद की अवधि के लिए, आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों को जून, 2024 तक का पूरा वेतन तथा मिल के अन्य कर्मचारियों को जून, 2024 तक उनके वेतन का 50% भुगतान कर दिया गया है।

****